न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

1– अपील संख्या 203 / / 2013

रानी पत्नी राजसिंह दतक पुत्री नारायणीदेवी पत्नी मोटाराम निवासी 5 जी तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर। ––अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अनूपगढ। ––रेस्पोंडेन्ट्स

2– अपील संख्या 64 / 2014

रानी पत्नी राजसिंह दतक पुत्री नारायणीदेवी पत्नी मोटाराम जाति माली निवासी चक 5 जी ए एम तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर। –– अपीलार्थी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान।
2. कृष्णलाल पुत्र रामचन्द्र जाति बिश्नोई निवासी लूणेवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर –मृतक

2 / 1 ओमप्रकाश 2 / 2 मोहनसिंह 2 / 3 सीलन्द्रकुमार 2 / 4 कृपाराम 2 / 5 ओमीदेवी 2 / 6 कमलादेवी 2 / 7 इमानतीदेवी 2 / 8 मायादेवी 2 / 9 विद्यादेवी	पिसरान कृष्णलाल जाति विश्नोई निवासीगण लूणेवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

2 / 10 गोपीराम–मृतक पुत्र कृष्णलाल

2 / 10 / 1 कृष्णादेवी पत्नी गोपीराम 2 / 10 / 2 पवनकुमार पुत्री गोपीराम 2 / 10 / 3 मंजु पुत्री गोपीराम 2 / 10 / 4 द्रोपती पुत्री गोपीराम 2 / 10 / 5 धर्मवीर पुत्री गोपीराम	जाति बिश्नोई निवासीगण बिशनपुरा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर ।

–रेस्पोडेन्टान

20/11/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–रा.अ. 1956
विरूद्ध आदेश जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर दिनांक 4.12.96 एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगरदिनांक 05.09.2013

उपस्थितिः–
श्री दिनेश जोशी , अभिभाषक अपीलांट
श्री राजाराम धारणिया , अभिभाषक रेस्पों.
श्री वेदप्रकाश शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक :–20.11.2017

अपीलांट द्वारा अपील संख्या 203/13 रानीराम सरकार जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 04.12.1996 के विरूद्ध पेश की गई है उक्त आदेश के द्वारा नारायणीदेवी को चक 5 जीएम के मु.न. 204/17 की कि.न. 2 से 9, 12 से 10 व 22 से 25 की 20 बीघा भूमि का आवंटन खारिज किया गया है एवं अपील संख्या 64/2015 रानी बनाम सरकार आदि उपखंड अधिकारी श्रीविजयनगर के आदेश दिनांक 05.09.2013 के विरूद्ध पेश की है जिसके द्वारा उक्त विवादित भूमि का रेस्पो. के पिता कृष्णलाल के प्रार्थना पत्र पर बकाया राशि जमा कराने एवं आवंटन बहाल करने के आदेश दिये गये है।

दोनों ही अपीलों में विवादित भूमि एक ही होने से एवं उभय पक्ष द्वारा एक साथ बहस किये जाने से दोनों अपीलों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में शामिल की जावें ।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि नारायणीदेवी को आवंटित थी जिसकी उसके द्वारा किश्तों की राशि जमा करवा दी थी एवं कब्जा नारायणीदेवी को सौप दिया । अपीलार्थी नारायणीदेवी की दतक पुत्री है अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने एवं बिना पक्षकार बनाये पारित किया गया है। अतः निवेदन है कि दोनों ही अपीलें स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावें ।

20/11/17

राजस्व अपील अधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलार्थीया नारायणीदेवी की दतक पुत्री नहीं है ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं जिससे यह साबित हो कि अपीलार्थी नारायणीदेवी की दतक पुत्री हो । इसके अलावा विवादित भूमि का आवंटन कृष्णलाल को होने से उसके द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर किश्तों की राशि जमा कराने के आदेश दिये गये एवं आवंटन बहाल किया गया है। अपीलांट द्वारा दोनों अपीलें चलने योग्य नहीं होने से खारिज की जावें ।

अपील संख्या 203/13 अपीलांट द्वारा जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 4.12.1996 के विरूद्ध पेश की है, जिसकी सत्य प्रतिलिपि अपील के साथ संलग्न नहीं है एवं अपील संख्या 64/14 उपखंड अधिकारी श्रीविजयनगर के आदेश दिनांक 05.09.2013 के विरूद्ध पेश की है जिसके द्वारा विवादित भूमि का आवंटन कृष्णलाल के नाम से बहाल किया जाकर किश्तों की राशि जमा कराने के आदेश दिये गये है। अपीलांट द्वारा अपील बहैसियत नाराणीदेवी की दतक पुत्री को आवंटित subsequently खारिज विवादित आराजी में खातेदारी दिये जाने का अनुतोष चाहा /

अपील की सुनवाई का पहला पायदान वह आदेश व उससे सम्बन्धित पत्रावली है जिसक अपील में निर्णय किया जाना है परन्तु अपीलांट द्वारा कथित आदेश दिनांक 4.12.1996 ही पेश नहीं किया तथा यह Burden of proof अपीलांट पर है कि वह अपीलाधीन आदेश की सत्यापति प्रति पेश करे जो नहीं किये जाने पर प्रकरण हाजा का अपील मीमों न तो सिविल प्रकियां संहिता की धारा 96 न ही धारा 100 की परिधि में आता है जो Admisseon stage पर ही खारिज योग्य है।

अपील की Merits में भी रानी पत्नी राजसिंह नारायणी की दतक पुत्री बनकर वारिस का अनुतोष चाहती है जिसके लिये सन्दर्भ विधि The Hindu Adopiton and Maintenance Act 1956 का पठन करने पर इस विधि के प्रावधान कौन गोद जा सकता है,कौन गोद ले सकता के स्पष्ट एवं विस्तृत प्रावधान सन्दर्भ विधि में उपलब्ध है जो प्रकरण हाजा अपीलांट रायसिख होना जाहिर है जबकि जिसके गोद जाना बताया है वह माली है अपीलांट के गोद के विनिश्चित सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार होकर विवेचन से पूर्व यह प्रमाणित तथ्य है कि विवादित आराजी नारायणी देवी बेवा मोटाराम माली को आवटित

20/11/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज)

[illegible] किश्तों के अभाव में नामान्तरणकरण संख्या 56 के निर्णय दिनांक [illegible]01.97 द्वारा आराजी राज दर्ज हुई । अतः नामान्तरणकरण के द्वारा जो इन्द्राजात जमाबंदी में अमलदरामद हुये है उससे अपीलांट या काई Locus-standai रखने वाले पीड़ित हुऐ हो तो नामान्तरणकरण की अपील अगर मियाद बिन्दु अनुमति देता है तो विकल्प उपलब्ध है न कि यह अपील।

अतः विशुद्ध रकबा राज जो कृष्णलाल को आवटित है की Merits का विवेचन इस अपील में किये बगैर अपीलांट की कोई Locus-standai नहीं होने से तथा अपीलाधीन आदेश सीपीसी की धारा 96 व धारा 100 के प्रावधानुसार आदेश नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है। जहां तक अपील संख्या 64/14 का प्रश्न है जब अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सं. 203/13 में अपीलांट का कोई Locus-standai ही नहीं है तो अपील संख्या 203/13 जिसमें कृष्णलाल का आवंटन बहाल किया गया है उससे अपीलांट कोई राहत पाने की अधिकारी नहीं है। अतः दोनों ही अपीलें खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 20.11.2017 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/11/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर